न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या 10/2014 खाद्य सुरक्षा

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा

बनाम

1. श्री ज्ञान मल जैन पुत्र स्व.श्री मदन सिंह जैन मालिक/विक्रेता मैसर्स–अरिहन्त किराणा, 6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद नगर,भीलवाडा (राज.)
   स्थाई पता– मकान संख्या–6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद नगर,भीलवाडा (राज.)
2. श्री राकेश सुराणा पुत्र श्री मिठूलाल सुराणा (मालिक)
   मैसर्स–भीलवाडा सेल्स एजेन्सी, 7 गणेश मन्दिर के सामने, गांधी नगर, भीलवाडा
   स्थाई पता – 7 गणेश मन्दिर के सामने, गांधी नगर, भीलवाडा (राज0)
3. श्री मोहित पटेल पुत्र श्री शिरिष पटेल (नोमिनी)
   M/s Shree Bhagwati Flour and foods Pvt. Ltd. Survey No.430, Sarkhejbawla Highway Village-Moraiya Tel- Sanand Distt–Ahamedabad -38221
   स्थाई पता & B-7, Devashish Plats , Nr. Sathadhar Cross Road, Sola Road , Ghatlodia, Ahmedabad -380061

4- कम्पनी – M/s Shree Bhagwati Flour and foods Pvt. Ltd. Survey No.430, Sarkhejbawla Highway Village-Moraiya Tel- Sanand Distt–Ahamedabad -38221

– प्रार्थी **—–विपक्षी**

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1 श्री संजय सिह खाद्य सुरक्षा अधिकारी भीलवाडा

2 श्री राजेन्द्र कुमार कचौलिया अधिवक्ता – विपक्षी की ओर से

दिनांक 28.02.2017

आदेश

शासन उप सचिव कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प–1(2)कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उप धारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुये जिलों में कार्यरत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के लिये न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा ने विपक्षीगणो संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एक प्रकरण इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विपक्षीगण संख्या 01 श्री ज्ञान मल जैन पुत्र स्व.श्री मदन सिंह जैन विक्रेता/मालिक मैसर्स अरिहन्त किराणा, 6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाडा (राज.) पर निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् घी, तेल, मसाले, हींग इत्यादि का विक्रय कर रहा था। मैसर्स अरिहन्त किराणा, 6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद, भीलवाडा (राज.) का निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप के 10 डिब्बे प्लास्टिक पैक 100–100 ग्राम के रखे हुई थे। एक डिब्बे को ध्यान से देखने पर **Brand – Gaay chap compounded Asofoetida, Net Weight-100gm, lot No. -7, Pkd 01-07-2013, BEST BEFOR 12TH MONTH FROM PACKING, Mfg. By – Shree Bhagwati Flour and foods Pvt, Ltd, Survey No. 430, Sarkhejbawal Highway Village – Moraiya The. Sanand Distt.- Aamedabad- 382213** अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म **V-A** में दी एवं रसीद प्राप्त की। नियमानुसार संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप का नमूना लेकर वास्ते जाँच हेतु नियमानुसार खाद्य प्रयोगशाला अजमेर को भिजवाया । बाद जाँच नमूना सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया। विपक्षीगण संख्या 01 द्वारा लिये गये खाद्य नमूने का क्रय विपक्षीगण संख्या 02 द्वारा करना बताया जाकर साक्ष्य स्वरूप बिल की प्रति प्रस्तुत की गई। विपक्षीगण संख्या 02 द्वारा लिये गये खाद्य नमूने का क्रय निर्माता फर्म से करना बताया गया एवं साक्ष्य स्वरूप निर्माता फर्म से खाद्य नमूना क्रय करना बताया गया एवं साक्ष्य स्वरूप बिल की प्रति प्रस्तुत की । निर्माता फर्म के सविधान सबंधित सूचना प्राप्त कर, विपक्षीगण संख्या 01 से 04 के विरूद्ध न्यायनिर्णयन आवेदन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने हेतु स्वीकृति प्राप्त कर प्रार्थी द्वारा न्याय निर्णयन आवेदन प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आवेदन पत्र के साथ न्याय निर्णयन आवेदन, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, पदस्थापन आदेश की प्रति, फार्म **5-A** की प्रति,रसीद नमूना खरीद मूलप्रति, मौका फर्द प्रति, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को वास्ते जाँच जमा करवाने के प्रेषित पत्र एवं नमूना जमा होने की प्राप्ति रसीदे, फॉर्म–6 मेमोरेण्डम, नमूना लिये गये फर्म से लेकर निर्माता फर्म तक किये गये पत्र व्यवहार की प्रतियां एवं प्राप्त प्रतिउत्तर, संविधान सबंधित पत्र, खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा प्राप्त नमूना

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

जाँच रिपोर्ट मय कार्यालय पत्र, अभिहित अधिकारी को पत्रावली पेश करने तथा आवेदन फाईल करने बाबत लिखे गये पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई।

न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण अनुसार आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.10..2013 को समय 04:40 PM बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त चैकिंग हेतु मैसर्स अरिहन्त किराणा, 6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद नगर,, भीलवाडा पर पहुचा। मैंने विक्रेता को परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस समय दुकान पर खाद्य विक्रेता/मालिक की हैसियत श्री ज्ञान मल जैन पुत्र स्व.श्री मदन सिंह जैन मालिक/विक्रेता उम्र 58 वर्ष, जाति जैन निवासी मकान संख्या–6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद नगर,, भीलवाडा उपस्थित था एवं आम जनता को उपयोग हेतु घी,तेल,मसाले, हींग इत्यादि आम जनता को विक्रय कर रहा था। मालिक/विक्रेता ने बताया कि खाद्य लाईसेन्स बना हुआ है। परंतु मौके पर नही है घर रखा हुआ है।

मैसर्स अरिहन्त किराणा, 6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाडा के मालिक/ विक्रेता एवं गवाहों की उपस्थिति में निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप की 10 डिब्बे प्लास्टिक पैक 100–100 ग्राम के रखे हुई थे। एक डिब्बे को ध्यान से देखने पर **Brand – Gaay chap compounded Asofoetida, Net Weight-100gm, lot No. -7, Pkd 01-07-2013, BEST BEFOR 12TH MONTH FROM PACKING, Mfg. By – Shree Bhagwati Flour and foods Pvt, Ltd, Survey No. 430, Sarkhejbawal Highway Village – Moraiya The. Sanand Distt.- Aamedabad- 382213** अंकित था। अंकित था। मिलावट एवं मिसब्राण्ड का शक होने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जाँच हेतु लेने की सूचना खाद्य कारोबारकर्ता को फार्म **V-A** में दी एवं रसीद प्राप्त की एवं मौके पर गवाह की उपस्थिति में खाद्य कारोबारकर्ता ने बताया कि उपरोक्त वर्णित खाद्य पदार्थ संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप का बिल बाद में प्रस्तुत करने बाबत कहा गया।

मौके पर गवाहों एवं विक्रेता की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप के 4 डिब्बे प्लास्टिक पैक 100–100 ग्राम के खाद्य कारोबारकर्ता से खरीदी एवं इस बाबत् 180 रू अक्षरे एक सौ अस्सी रूपये मात्र नकद देकर रसीद प्राप्त की, रसीद की ।

इन खरीदशुदा संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप के चारो डिब्बो को चार साफ सुखे खाली प्लास्टिक के डिब्बो में रखकर, ढक्कन लगाकर, एयर टाईट बंद किया। इन नमूना भागो के लिए चार लेबल नियमानुसार भर कर उन पर श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) के कोड एवं क्रमांक एक्स–630 दर्ज कर विक्रेता, गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर व मैने

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक ...2006) भीलवाड़ा (राज.)

स्वयं ने हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर एवं किनारों को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लिप कोड़ एवं सीरीयल नं. एक्स–630 जो श्रीमान् अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चि. एवं स्वा. अधिकारी भीलवाडा डॉ. सतीश कुमार डाबी द्वारा हस्ताक्षरित थी, जो कि मेरे पास उपलब्ध थी, को चारों नमूना भागों पर सिर से लेकर पेंदे तक एवं पेंदे से सिर तक लगातार नियमानुसार गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार 4–4 जगह उपर नीचे एवं दोनों साइडों पर सील चपडी किया नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। प्रत्येक सील्ड नमूना भागों पर विक्रेता/मालिक श्री ज्ञान मल जैन पुत्र स्व.श्री मदन सिंह जैन के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व आधे खाकी कागज पर आ गये। चारों सील्ड नमूना भागो को अपने कब्जे में लिया। नियमानुसार मौका फर्द तैयार की गई। लिये गये खाद्य नमूना सख्यां एक्स 630 को खाद्य प्रयोगशाला अजमेर भिजवाया गया। शेष बचे भागो को नियमानुसार अभिहित अधिकारी को जमा करावाया गया।

न्यायानिर्णयन आवेदन कर्ता द्वारा विपक्षीगण संख्या 01 को लिये गये नमूने का कय बिल प्रस्तुत करने बाबत रजिस्ट्रर्ड पत्र प्रेषित किया गया। पत्र के प्रति उत्तर में विपक्षीगण 01 द्वारा नमूने का कय विपक्षीगण संख्या 02 द्वारा करना बताया गया एंव साक्ष्य स्वरूप कय बिल की प्रति प्रस्तुत की । विपक्षीगण संख्या 02 द्वारा लिये गये नमूने का कय निर्माता फर्म से किया गया एवं कय बिल की प्रति प्रस्तुत की गई।

खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिर्पोट सं. **L.S.641/ACT/2013/648** दिनांक **25.11.2013** के अनुसार विक्रेता से वास्ते जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण सबस्टेण्डर्ड (**Sub-Standred**) होना पाया गया। अभिहित अधिकारी एंव मुख्य चिकित्सा एव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा सभी विपक्षीगणो को नियमानुसार प्राप्त जाँच रिपोर्ट रजिस्ट्रर्ड पत्रांक द्वारा भिजवाई गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा निर्माता फर्म की संविधान की जानकारी प्राप्त कर, न्याय निर्णयन आवदेन पेश करने हेतु प्राधिकृत करने बाबत अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा को में पेश किया।

जिस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा प्रार्थी को अधिकृत किया और आदेश दिया कि इस प्रकरण से सम्बन्धित मूल कागजात एवं सम्बन्धित कारोबारकर्ता को नियम 2.4.6(1) के तहत प्रस्तुत रजिस्टर्ड पत्र एवं रजिस्टर्ड डाक की पोस्टल रसीद भी मूल प्रति सहित न्याय निर्णयन आवेदन के साथ प्रस्तुत कर

न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा ... अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

अंकित किया है कि विपक्षीगण संख्या 1 श्री ज्ञान मल जैन पुत्र स्व.श्री मदन सिंह जैन विक्रेता/मालिक मैसर्स_अरिहन्त किराणा, 6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद नगर भीलवाडा (राज.)व विपक्षीगण 2 द्वारा सबस्टेण्डर्ड संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप का विक्रय एवं विपक्षीगण संख्या 03 व 04 द्वारा सबस्टेण्डर्ड संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप निर्माण कर एफएसएस की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। खाद्य नमूना निर्धारित मानक कोटि का नही होने के कारण इस पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा के पत्र द्वारा प्रार्थी को न्याय निर्णयन अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में 25.06.2014 को प्रकरण प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 08.07.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 07.08.2014 को कार्यालय हाजा में स्वंय या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। मामले में आज विभागीय पैरोकार एवं विपक्षी एडवोकेट उपस्थित ।

विभागीय पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि विपक्षीगण संख्या 01 से लिया गया खाद्य नमूना संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया है । प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप में Alcoholic Extract with 90% Alcohol मे निर्धारित मात्रा कम से कम 5% होनी चाहिए जबकि नमूने में निर्धारित मात्रा 4.55 प्रतिशत ही पाई गयी, इसलिए लिया गया खाद्य नमूना संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप सबस्टेण्डर्ड होना पाया गया। निर्माता फर्म द्वारा सबस्टेण्डर्ड संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप विक्रय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) के तहत उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 मे निर्धारित है। प्रार्थी की ओर से न्याय निर्णयन आवेदन पत्र विपक्षीगणो सख्या 01 से 04 के विरूद्व जुर्माना आरोपित करते हुये आवेदन पत्र का निर्णय कराने की प्रार्थना की है। खाद्य प्रयोगशला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा द्वारा नमूना लिये जाने वाली फर्म को एवं निर्माता फर्म को रजिस्टर्ड पत्र मय जाँच रिपोर्ट प्रेषित करते हुये पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के समय देते हुये नोटिस दिया गया, किन्तु नमूना लिये जाने वाली फर्म द्वारा एवं निर्माता फर्म द्वारा जाँच रिपोर्ट के खण्डन में किसी भी प्रकार की अपील हेतु आवेदन नहीं किया गया जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षीगण जाँच रिपोर्ट से संतुष्ट है ।

विपक्षीगण एडवोकेट द्वारा लिखित बहस में बताया कि लिया गया नमूना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है एवं थोड़ी सी मात्रा होना बताया। विभागीय प्रतिनिधि द्वारा

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006) भीलवाड़ा (राज.)

इसका विरोध करते हुए कहा गया चूंकि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के तहत निर्धारित मापदण्डों में जो मात्रा निर्धारित की गई है , वह कम से कम है एवं लिये गये नमूने में वह मात्रा भी नहीं पाई गई है। इसलिए लिया गया नमूना सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया है। अतः एक्ट में निर्धारित जुर्माना लगाने बाबत् निवेदन किया गया है।

बहस सुनी गयी । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । **खाद्य प्रयोगशाला अजमेर से जाँच रिपोर्ट सं. L.S.641/ACT/2013/648 दिनांक 25.11.2013 के अनुसार विक्रेता से जाँच हेतु लिया गया खाद्य नमूना, संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने के कारण सब–स्टेण्डर्ड (Sub-Standred) होना पाया गया।** प्राप्त जाँच रिपोर्ट के अनुसार पाया गया कि संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप में Alcoholic Extract with 90% Alcohol में निर्धारित मात्रा कम से कम 5% होनी चाहिए जबकि नमूने में निर्धारित मात्रा 4.55 प्रतिशत ही पाई गयी, इसलिए लिया गया खाद्य नमूना संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप सब–स्टेण्डर्ड होना पाया गया। निर्माता फर्म द्वारा सब–स्टेण्डर्ड संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप विकय एवं निर्माण कर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 मे निर्धारित है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि विपक्षीगण संख्या 01 श्री ज्ञान मल जैन पुत्र स्व.श्री मदन सिंह जैन मालिक/विक्रेता मैसर्स अरिहन्त किराणा, 6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद नगर, भीलवाडा (राज.) एवं विपक्षीगण सं. 02 द्वारा सबस्टेण्डर्ड संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप का विकय एवं विपक्षीगण संख्या 03, 04 द्वारा निर्माण करने के लिये दोषी है । इस कृत्य के लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में सब–स्टेण्डर्ड पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

उपरोक्त प्रावधान को मध्यनजर रखते हुये विपक्षी को अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुये विपक्षी सं. 01 द्वारा खाद्य पदार्थ का कय बिल प्रस्तुत कर दिया गया था एवं विपक्षी सं. 02 के द्वारा भी खाद्य पदार्थ का कय बिल प्रस्तुत कर दिया गया था । चूंकि विपक्षी सं. 01 व 02 द्वारा 'पैक' अवस्था में खाद्य पदार्थ का कय कर , 'पैक' अवस्था में ही खाद्य पदार्थ का विकय किया है एवं साक्ष्यस्वरूप कय बिल की प्रतियां प्रस्तुत की है । अतः विपक्षी सं. 01 व 02 पर किसी प्रकार की शास्ति आरोपित किया जना उचित नहीं होने से विपक्षी सं. 01 व 02 पर किसी भी प्रकार की शास्ति आरोपित नहीं किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी सं. 03 व 04 द्वारा सब–स्टेण्डर्ड संयुक्त बांधानी हींग ब्राण्ड गाय छाप का निर्माण एवं विकय किया गया है , जो कि खाद्य मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन है। अतः विपक्षी सं. 03 व 04 पर अपराध कारित होने के

न्याय निर्णय ... मजिस्ट्रेट
(खाद्य सुरक्षा ... अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)

फलरूवरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत विपक्षी सं. 03 पर 1,50,000/–रू. (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) एवं विपक्षी सं. 04 पर 1,50,000/–रू. (अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। विपक्षी सं. 03 व 04 उपरोक्त शास्ति निर्णय दिनांक से 3 माह के अन्दर शास्ति राशि कैशियर जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें। उक्त अवधि में शास्ति राशि जमा नहीं कराने पर विहित अधिनियम की धारा 96 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये रा.भू.रा. अधिनियम 1956 में अंकित प्रावधानों के अनुसार विपक्षीगण के विरूद्व वसूली कार्यवाही की जावे ।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/02/17
(एल0आर0गुगरवाल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट भीलवाडा
भीलवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1 खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक(जनस्वास्थ्य)चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ राजस्थान जयपुर
2 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भीलवाडा
3 कैशियर, जिला कलक्टर कार्यालय भीलवाडा
4 श्री ज्ञान मल जैन पुत्र स्व.श्री मदन सिंह जैन मालिक/विक्रेता
मैसर्स–अरिहन्त किराणा, 6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद नगर,भीलवाडा (राज.)
स्थाई पता– मकान संख्या–6–सी–39,चन्द्रशेखर आजाद नगर,भीलवाडा (राज.)
5 श्री राकेश सुराणा पुत्र श्री मिठूलाल सुराणा (मालिक)
मैसर्स–भीलवाडा सेल्स एजेन्सी, 7 गणेश मन्दिर के सामने, गांधी नगर, भीलवाडा
स्थाई पता – 7 गणेश मन्दिर के सामने, गांधी नगर, भीलवाडा (राज0)
6 श्री मोहित पटेल पुत्र श्री शिरिष पटेल (नोमिनी)
M/s Shree Bhagwati Flour and foods Pvt. Ltd. Survey No.430, Sarkhejbawla Highway Village-Moraiya Tel- Sanand Distt–Ahamedabad -38221
स्थाई पता & B-7, Devashish Plats , Nr. Sathadhar Cross Road, Sola Road , Ghatlodia, Ahmedabad -380061

कम्पनी – M/s Shree Bhagwati Flour and foods Pvt. Ltd. Survey No.430, Sarkhejbawla Highway Village-Moraiya Tel- Sanand Distt–Ahamedabad -38221

28/02/17
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
भीलवाडा
(खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006)
भीलवाड़ा (राज.)